न्यायालयः न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी : पवन कुमार शर्मा, आर.जे.एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 70/18 (19/18)

सी.आई.एस: 2/18

ललित भाटी पुत्र स्व. श्री शंकरसिंह भाटी मृतक जरिये वारिसान–

1/1 श्रीमति चन्द्रा भाटी, उम्र 61 साल–पत्नी,

1/2 श्री कौस्तूभ सिंह भाटी, उम्र 38 साल–पुत्र,

1/3 श्री चक्रपाणी भाटी, उम्र 33 साल–पुत्र,

1/4 श्री सिद्धार्थ भाटी, उम्र 32 साल–पुत्र,

सभी निवासीगण– म.नं. 480/28 गोआ कॉलोनी, भजनगंज, अजमेर।

.... वादीगण

बनाम

रामराज ऑटो रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी 195/11, फर्स्ट फ्लोर कचहरी रोड, अजमेर जरिये डायरेक्टर श्री विजय गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग, जाति गर्ग, निवासी– फर्स्ट फलोर कचहरी रोड, अजमेर

.... प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं.

उपस्थित:–

1. श्री रामस्वरूप, अधिवक्ता वादी पक्ष की ओर से।
2. श्री विनोद भारद्वाज व श्री शाहिद कुरेशी,अधिवक्ताक्तण प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय दिनांक: 07–04–2021

उपरोक्त प्रकरण वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध बाबत कार का रजिस्ट्रेशन कर संभलाने और अन्य अनुतोष सहित जिला न्यायालय, अजमेर के समक्ष पेश किया, जो इस वाणिज्यिक न्यायालय के सृजन के पश्चात् अन्तरित होकर प्राप्त हुआ।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने होण्डा कार्स इण्डिया लिमिटेड प्लॉट नं. ए–1 सेक्टर 40/41 सूरजपुर कासना रोड, ग्रेटर नोयडा, इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट ऐरिया, डिस्ट्रिक– गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अजमेर स्थित डीलर प्रतिवादी रामराज ऑटो रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी 195/11 फर्स्ट फलोर, कचहरी रोड, अजेर के यहाँ से एक कार वाहन होण्डा सिटी वी.एम.टी. खरीदने के लिए सम्पर्क करने पर प्रतिवादी द्वारा उसकी कार की कीमत का कोटेशन वाद–पत्र की मद सं. 1 में वर्णितानुसार जारी कर ऑन रोड 12,50,780/– रू. होना बताते हुऐ कार खरीदने के बाबत वादी, प्रतिवादी के मध्य तय अनुसार वादी ने प्रतिवादी को आठ चैक राशि भरकर देने और उसके पश्चात् प्रतिवादी द्वारा वाहन कार का कब्जा सौंपे जाना तय होकर दिनांक 27.04.2015 को यह कार्यवाही होकर वादी ने जो उसके पास राशि थी नकद देने और शेष राशि हेतु इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा वादी का वाहन लोन स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। वादी ने प्रतिवादी को चैक संख्या 373084 रू. 6,00,000/– रू, चैक संख्या 373085 रू. 50,780/– रू, चैक संख्या 373086 रू. 1,00,000/– रू, चैक संख्या 373087 रू. 1,00,000/– रू, चैक संख्या 373088 रू. 1,00,000/– रू, चैक संख्या 373089 रू. 1,00,000/– रू भरकर बिना तारीख डाले दस्तखत कर प्रतिवादी को दिये। वादी ने 6,50,780/– रू. नकद तथा 6,00,000/– रू. इण्डियन ओवरसीज बैंक से लोन कराकर बैंक द्वारा प्रतिवादी के खाते में जरिये डी.डी. जमा कराई गई। वादी ने वाहन होण्डा सिटी कार जिसका चैसिस नंबर एमएकेवीएम 859 डीएफ 4102579 तथा इंजिन नंबर एनआर् 5ए 12408464 कुल 12,50,780/– रू. में खरीद की। दि. 27.04.2015 को 6,50,780/– रू. नकद जमा कराऐ, शेष छः लाख रूपये का इण्डियन ओवरसीज बैंक का दि. 29.04.2015 को डीडी. नंबर 810864264 के द्वारा प्रतिवादी को सम्पूर्ण राशि अदा कर दी। उक्त वाहन का इन्श्यारेंस करवाया गया जिसकी प्रीमियम राशि 35816/– रू. होकर वादी के नाम प्रतिवादी द्वारा जमा पॉलेसी जारी कराई गई, कार का कब्जा वादी को सौंप दिया। प्रतिवादी एजेन्सी द्वारा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र वादी को नहीं दिया, बार–बार मांगे जाने पर अस्थााई आर.सी. नंबर आर.जे. 01 टी सी–0212/960 वादी के नाम जारी की, अस्थाई आर सी ब्यावर आर.टी.ओ. कार्यालय की जारी की होकर दि. 29.10.2015 तक ही वैलिड थी। आर.सी. में वादी का सारा पता सही था, किन्तु अजमेर के स्थान पर ब्यावर लिखा था। वादी बार बार प्रतिवादी से आर.सी. मांगता रहा लेकिन उसे नहीं दी, जब की वाहन की सम्पूर्ण राशि 12,50,780/– रू. प्रतिवादी को अदा हो चुके थे। वादी के द्वारा

प्रतिवादी को बिना तारीख डाले राशि भरकर दिये चैकों को वापिस मांगा, क्योंकि सिक्यूरिटी के पेटे दिये गये थे, परन्तु प्रतिवादी बारबार विश्वास दिलाता रहा की चैक मिल नहीं रहें है, मिलने पर तुरन्त दे देंगे। आर.सी. प्रमाण पत्र के साथ लौटा देगा, बार बार मांगे जाने पर भी प्रतिवादी ने वादी को रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र नहीं दिया, दि. 13.12.2015 को जरिये वकील प्रतिवादी को एक नोटिस भिजवाया, नोटिस में उसने चैक संख्या 373084 रू. छः लाख रू. दि. 6.12.2016 को देना बताते हुऐ दि. 7.12.2016 को अनादरित होना बताया गया, जिस पर वादी को काफी आश्चर्य हुआ का 27.12.2016 को जवाब भिजवाया, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया की दिनांक 29.04.2015 को 6,50,780/– रू. का वादी ने नकद भुगतान किया था, शेष राशि का डी. डी. दिया था। समस्त राशि प्रतिवादी के खाते में जमा हो चुकी थी, प्रतिवादी ने पुनः एक नोटिस वादी को भिजवाया, जिसमें उसने छः लाख रूपये की प्राप्ति तो स्वीकार कर ली, परन्तु 6,50,780/– रू. की प्राप्ति होने से इन्कार करते हुऐ दि. 11.06.2015 को 1,00,000/– रू. का चैक बैंक में भुगतान हेतु लगाने और दि. 12.06.2015 को चैक वापिस हो जाने का कथन प्रतिवादी के द्वारा किया गया। वादी द्वारा पुनः प्रतिवादी को दि. 09.01.2017 को जवाब भिजवाया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से 29.04.2017 की रसीद सं. 2602 और शेष राशि बैंक डीडी के जमा होने की बात अंकित की, प्रतिवादी ने रसीद संख्या 2602 को फर्जी, कूटरचित बताया व हैण्ड राईटिंग, सील व छपाई की एक्सपर्ट से जाँच कराने का कथन किया है, जिस पर वादी आज भी कायम है। प्रतिवादी ने वादी के खिलाफ 138 एन आई एक्ट का परिवाद भी पेश किया, वादी ने प्रतिवादी को स्पष्ट तौर पर कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाकर देने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है, अर्थात वादी को प्रतिवादी ने आज तक आर.सी. बनवाकर नहीं दी है, प्रतिवादी, वादी को रजिस्ट्रेशन कराकर दे और विकल्प में न्यायालय प्रतिवादी को आदेश दे की वह अपने खर्चे पर रजिस्ट्रेशन करावें और अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलावें।

3. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर वादी के दावाकृत तथ्यों को स्वयं के द्वारा साबित करने की बात कहते हुऐ सभी तथ्यों को असत्य, मिथ्या, मनगढ़न्त, निराधार होना कहते हुऐ वादी द्वारा चैक संख्या 373084 प्रतिवादी को दिया था जो अनादरित होने पर प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 138 एन आई एक्ट का परिवाद प्रस्तुत किया है। वादी के द्वारा प्रतिवादी को आज तक भुगतान अदा नहीं

किया है, वादी द्वारा जो वाहन का चैसिस नंबर लिखा गया है वह भी गलत है। वादी को प्रतिवादी के द्वारा वाहन 12,50,780/– रू. में विक्रय किया था, 6,00,000/– रू. कार के पेटे प्रतिवादी से प्राप्त हो गये शेष रकम 6,50,780/– रू. का वादी द्वारा भुगतान नहीं किया गया, प्रतिवादी ऐजेंसी में रूपये जमा कराने का कोई दस्तावेज वादी के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। दि. 27.04.2015 को कोई राशि नकद वादी ने जमा नहीं कराई। वाहन का विक्रय करते ही इन्श्योरेंस कर दिया जाता है, दूसरा इन्श्योरेंस वाहन का आर टी ओ में रजिस्ट्रेशन करवाये जाने के बाद ही सम्भव है कहते हुऐ वादी ने वाहन का आज तक आर.टी.ओ. नहीं करवाया है, ना ही आर.टी.ओ. राशि का भुगतान प्रतिवादी को किया है। वादी जो विधायक और मंत्री रह चुका है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य होकर प्रशासन में अच्छा प्रभाव होने के कारण बिना राशि अदा किये वाहन का आर.टी.हो. कराना चाहता है, अस्थाई आर/सी. की मियाद निकल चुकी है, वादी ने अभी कोई राशि प्रतिवादी को आर.सी. के लिये अदा नहीं की, आंशिक भुगतान और चैक जो वादी द्वारा प्रतिवादी को दिये गये थे, चैक बिना भुगतान के अनादरित हो गये, वादी ने समस्त कथन मिथ्या कहें है। वादी द्वारा छः लाख का जो चैक वाहन पेटे प्रतिवादी को दिये अनादरित हो चुके है, उससे वादी की बदनियति साफ नजर आती है। प्रतिवादी को वादी ने विक्रय राशि पूर्ण रूप से अदा नहीं की है। वादी द्वारा कहे अनुसार कथन उसने स्वयं अपने द्वारा साबित करने है, मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्य निराधार होने की बात कहते हुऐ अतिरिक्त कथनों में प्रतिवादी का किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिलना, प्रतिवादी को भुगतान अदा करने का तथ्य वादी उचित साक्ष्य से साबित करें, वादी राशि अदा नहीं करने की जगह गलत तथ्य कर न्यायालय में आ गया है। प्रतिवादी के नोटिस का वादी ने जो जवाब दिया का खण्डन प्रतिवादी के द्वारा किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में वादी ने जमानत करा ली है, इन सभी तथ्यों को वादी के द्वारा छिपाया गया है, व वादी का दावा असत्य, झूंठा होना कहते हुऐ खारिज किये जाने की बात कहीं है।

4. उभयपक्ष के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद बिन्दू विरचित किये गये:–

1– आया वादी ने प्रतिवादी द्वारा वाद–पत्र की मद सं. 1 में दिये कोटेशन मुताबिक कार प्रतिवादी से जिसके चेसिस नंबर एम ए के वी एम 859 डी एफ 4102579 व इंजिन नंबर एन आई 5 ए 12408464 रू. 12,50,780/– में

खरीदी 27.04.2015 को 6,50,780/–रू. नकद प्रतिवादी के यहां एवं दिनांक 29.4.2015 को डी डी नंबर 810864264 के द्वारा अदा कर डिलीवरी प्राप्त की, की इन्श्योरेंस पॉलेसी प्रतिवादी द्वारा ही वी.एच.पी./ 01205363 जारी की गई?

2– आया वाद–पत्र की मद सं. 2 के अनुरूप वादी द्वारा प्रतिवादी को दिये बिना तारीख का चैक नं. 373084 प्रतिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत कर 7.12.15 को अनादरित करा 27.12.2016 को जरिये वकील नोटिस दिया, जब कि वादी सारा पैसा अदा कर चुका था?

3– आया सम्पूर्ण रकम अदा करने पर भी वादी को प्रतिवादी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है को वादी प्राप्त करने का अधिकारी है?

4– आया वादी ने डी.डी. को प्रतिवादी को दिया, परन्तु 6,50,670/–रू. नकद नहीं दिये है?

5– आया वादी ने आर.सी. हेतु राशि प्रतिवादी को अदा नहीं की, के कारण आर.सी. नहीं बनी, एवं प्रतिवादी की बनवाने की जिम्मेदारी नहीं है ?

6– आया वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुऐ दावा पेश किया है के कारण खारिज होने योग्य है?

7– अनुतोष ?

5. उक्त तनकियात को साबित करने के क्रम में वादी ने पी. डब्ल्यू. 1 कौस्तुभ सिंह भाटी व पी. डब्ल्यू. 2 रविन्द्र सिंह चौधरी को परीक्षित कराया, तथा प्रलेखीय साक्ष्य में इण्डियन ओवर सीज बैंक का पत्र प्रदर्श 1, रामराज ऑटो की रसीद प्रदर्श 2, कार का कोटेशन प्रदर्श 3, डी डी का एकनोलेजमेंट प्रदर्श 4, कार की अस्थाई आर.सी. प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, कार का इन्श्योरेंस प्रदर्श 6, नोटिस दि. 13.12.2016 प्रदर्श 7, नोटिस काजवाब प्रदर्श 8, पोस्टल रसीद नोटिस प्रदर्श 9, दि. 3.1.2017 का नोटिस प्रदर्श 10, नोटिस का जवाब प्रदर्श 11, नोटिस दि. 21.01.2017 प्रदर्श 12 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये। प्रतिवादी पक्ष ने विजय गर्ग को डी. डब्ल्यू. 1 व महेश शर्मा को डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में परीक्षित कराया।

6. उभयपक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई, उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई, पत्रावली का विधिवत् अवलोकन किया गया।

7. अधिवक्ता वादी का दौराने बहस कथन रहें है कि वादी द्वारा रसीद प्रदर्श 2 के द्वारा 6,50,780/– रू. अदा कर दिये जाना, शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट छः लाख रूपये का प्रतिवादी को अदा कर दिया जाना, प्रतिवादी जो स्वयं की रसीद प्रदर्श 2 से इन्कार कर रहा है, सिक्यूरिटी पेटे वादी के द्वारा प्रतिवादी को चैक दिये गये थे, लेकिन बकाया रकम उसके द्वारा नकद अदा कर दी गई थी, जिसकी की रसीद प्रदर्श 2 प्रतिवादी के कार्यालय से जारी की गई। प्रतिवादी जो कि रसीद के चैक नंबर लिखे होने की बात कहता है, परन्तु वो चैक नंबर गलती से लिख दिये गये है, क्योंकि चैक तो केवल छः लाख रूपये का ही था के 6,50,780/– रू. प्रदर्श 2 में लिखे गये है, जो नकद राशि है। प्रतिवादी ने कहीं भी उक्त रसीद बाबत एफ.एस.एल. आदि से जाँच की कोई प्रार्थना नहीं की। यदि वादी के द्वारा प्रतिवदी को पूरी रसीद अदा नहीं की जाती तो कार का कब्जा देने का प्रश्न ही नहीं होता, राशि अदा होने के बाद ही कार की डिलेवरी दी जाती है। गवाह पी. डब्ल्यू. 2 ने भी रसीद प्रदर्श 2 दिखाई जाने पर लॉन अदा किये जाने की बात कहीं है। वादी गवाह पी. डब्ल्यू. 2 के बयानों के पैरा नं. 5 का कोई खण्डन प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया गया है। पूर्व राशि प्रतिवादी के यहाँ जमा होने और उसकी रसीद बैंक में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही बैंक द्वारा छः लाख रूपये का ऋण स्वीकृत कर जरिये ड्राफ्ट प्रतिवादी को अदा किया गया। ये सभी तथ्य वादी को अदा किये गये सम्पूर्ण राशि के तथ्यों को प्रमाणित करते है और वादी का दावा प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री किया जावें।

8. प्रतिवादी के द्वारा मौखिक बहस के साथ लिखित बहस भी पेश की गई, प्रतिवादी का कथन है कि वादी के द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराने का कोई डाक्यूमेंट न्यायालय में पेश नहीं किया। प्रदर्श 2 रसीद प्रतिवादी की नहीं है। वादी अगर एफ एस एल जाँच कराना चाहता था तो खुद करा सकता था, प्रतिवादी खुद क्यों मांग करता। वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध किसी भी तरह की दाण्डिक कार्यवाही की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पंजीकरण वादी को खुद अपने पक्ष में कराना था। स्वयं वादी के द्वारा ही पंजीकरण नहीं कराया गया। वादी के द्वारा दि. 07.12.2015 को चैक अनादरण

कराकर दि. 27.12.2016 को जो नोटिस देने की बात कहीं है वह बिल्कुल गलत है। दि. 07.12.2015 को कोई चैक अनादरण नहीं कराया गया था। वादी के विरूद्ध पेश किये गये परिवाद से चैक राशि अदा नहीं होने का तथ्य स्वयं प्रमाणित है। यदि नकद राशि जमा कराई जा रही होती तो चैक क्यों दिया जाता। वादी के कथन आपस में विरोधाभासी है। पेश किये गये परिवाद और प्रदर्श 2 में लिखे हुऐ चैक नंबर एक समान है। इस प्रकार प्रदर्श 2 के द्वारा जो वादी ने जरिये चैक राशि का भुगतान कराना चाहा था वो बैंक के द्वारा अनादरित कर दिया गया, इस प्रकार राशि का अदा नहीं होना स्वतः ही प्रमाणित है। अतः वादी का दावा जो की झूंठे और गलत तथ्यों पर आधारित है को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

9. दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् प्रत्येक तनकीयात पर बिन्दूवार विनिश्चय निम्न प्रकार से है।

10. **<u>तनकी संख्या 1 :–</u>**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, वादी ने जहाँ अपने दावाकृत तथ्यों के तहत पैरा नं.1 में प्रतिवादी के जरिए कोटेशन का वाद–पत्र की मद सं. 1 लगायत 7 की मद में विवरण अंकित करते हुऐ वाहन की ऑन रोड कीमत 12,50,780/– रू. होना, वादी, प्रतिवादी के मध्य खरीद हेतु यह पाया की वादी, प्रतिवादी को आठ चैक राशि भरकर देवें उसके पश्चात् प्रतिवादी उक्त वाहन कार का कब्जा वादी को देगा, यह कार्यवाही दिनांक 27.04.2015 को हुई, इस पर वादी ने जो राशि उसके पास थी, नकद देने, शेष राशि इण्डियन ओवरसीज बैंक से सम्पर्क कर लोन कराकर स्वीकृत लोन का आश्वासन प्राप्त होकर वादी ने प्रतिवादी को चैक नं. 373084 रू. 6,00,000/–का, चैक संख्या 373085 रू. 50,780/– रू, चैक संख्या 373086 रू. 1,00,000/– रू, चैक संख्या 373087 रू. 1,00,000/– रू, चैक संख्या 373088 रू. 1,00,000/– रू, चैक संख्या 373089 रू. 1,00,000/– रू का भरकर बिना तारीख, दस्तखत कर प्रतिवादी को दिये थे, तथा वादी ने प्रतिवादी को 6,50,780/– रू. नकद अदा कर शेष 6,00,000/– रू. इण्डियन ओवरसीज बैंक से लोन कराकर डी.डी. नं. 81086464 प्रतिवादी को अदा कर दिये । प्रतिवादी ने वाहन का इन्श्योरेंस करवाकर जिसकी प्रीमियम राशि

35,816/– रू. थी दे दी, पॉलेसी वादी के पक्ष में जारी कर दी, कब्जा वाहन वादी को दे दिया। वादी ने बार–बार प्रतिवादी से रजिस्ट्रेशन के लिये कहा तो उसने चार महीने बाद अस्थाई रजिस्ट्रेशन नं. आर.जे. 01 टी सी–0212/960 वादी के नाम जारी की, जो आर सी ब्यावर आर.टी.ओ. के कार्यालय से जारीशुदा दि. 29.10.2015 तक वेलिड था, जब की वादी ने प्रतिवादी को वाहन की सम्पूर्ण राशि 12,50,780/– रू. दे चुका था के बावजूद तकाजा वादी को रजिस्ट्रेशन कराकर नहीं सौंपा, बावजूद नोटिस नहीं दिया। इस प्रकार प्रतिवादी के खर्चे पर वादी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन बनवाकर प्राप्ति का अधिकारी होना कहते हुऐ लगभग इन्हीं तथ्यों को वादी के पुत्र ने पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपनी साक्ष्य में दौहराया है, जिसमें किसी भी तरह का कोई अन्तर नहीं है, सम्पूर्ण तथ्य वाद–पत्र के तथ्यों के अनुरूप है, तथा वादी ने बतौर दस्तावेज इण्डियन ओवरसीज बैंक का पत्र तथा रामरॉज ऑटो की रसीद दि. 29.04.2015 प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3, डी डी. एक्नोलेजमेंट प्रदर्श 4, अस्थाई रजिस्ट्रेशन प्रदर्श 5, इन्श्योरेंस प्रदर्श 6, नोटिस प्रदर्श 7 व जवाब प्रदर्श 8, नोटिस दि. 3.1.2017 प्रदर्श 10, जवाब नोटिस प्रदर्श 11, पुनः नोटिस दि. 21.1.2017 प्रदर्श 12 को प्रदर्शित कराते हुऐ प्रतिपरीक्षा में कथन किये है कि ललित भाटी मेरे पिता है, उसने एम.बी.ए. तक पढाई की है, कार खरीदने के लिऐ वह तथा उसका भाई परबतपुरा कार कंपनी के शौरूम पर गये, फिर कहा कम्पनी का प्रतिनिधि कार दिखाने आया, किस तारीख को आया ध्यान नहीं, कार की ऑन रोड़ कीमत 12,50,780/– रू. थी, जिसमें इंश्यारेंस व आर.टी.ओ. के कितने पैसे थे विशिष्ट रूप से नहीं बता सकने की बात कहते हुऐ प्रदर्श 2 रसीद 6,50,780/– रू. की होकर, उक्त रूपये जो अदा किया जाना कह रहा है वो जरिये चैक नं. 373084 से होना कहता है, चैक इण्डियन ऑवरसीज बैंक का हो तो उसे पता नहीं, चैक अनादरण का मुकदमा उसके पिता के खिलाफ चला, यह गलत है कि उसके पिता ने वाहन का पूरा रूपया अदा नहीं किया। यह गलत है कि प्रदर्श 2 दस्तावेज को कम्पनी ने उनका होने से मना करने बाबत उसने एफ.एस.एल. की जाँच नहीं कराई हों, यह सही है कि एफ एस एल. जाँच पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अर्थात कि यह गवाह वादी जो उसके पिता थे के द्वारा कार खरीदना कहते हुऐ, पिता की मृत्यु हो जाने पर बतौर वादी अपने को परीक्षित करा रहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने छः लाख रूपये इण्डियन ओवरसीज बैंक के ड्राफ्ट द्वारा और 6,50,780/– रू. नकद जमा कराने की बात कहता है, रसीद प्रदर्श 2 होना बताता है व 6,50,780/– रू. जरिये चैक नं० 373084 से दिये जाने की बात प्रतिपरीक्षण में कहता है, यानि कार का कोटेशन जो 12,50,780/– रू. का होकर छः लाख रूपये जरिये ड्राफट और छः

लाख रू. तो नकद द्वारा जमा कराऐ या जरिये चैक जिसके नंबर वादी स्वयं बता रहा है के द्वारा जमा कराऐ।

11. उक्त संबंध में गवाह पी. डब्ल्यू. 2 रविन्द्र सिंह चौधरी जो वादी का गवाह है, तत्कालीन समय में इण्डियन ओवरसीज बैंक में ब्रांच मैनेजर था ने रामराज ऑटो रोलर्स एजेंन्सी में कार लेने हेतु अग्रिम राशि हेतु 6,50,780/– रू. एजेंसी में जमा कराऐ की रसीद मेरे समक्ष पेश की और छः लाख रूपये का लोन स्वीकृत किया, प्रतिपरीक्षा में दिनांक 31.07.2016 को रिटायर्ड हो जाने, वाहन ऋण बाबत ललित भाटी के आयकर दस्तावेज व दो गारंटर बैंक में नियमानुसार पेश करने पर ललित भाटी के द्वारा कार कम्पनी में रूपये जरिये रसीद बैंक में जमा होने तथा प्रदर्श 2 रसीद को देखकर गवाह कहता है कि इस रसीद के द्वारा जरिये चैक अदा होना जाहिर होता है। उसे नहीं मालूम की प्रदर्श 2 में वर्णित चैक के अनादरण का मामला ललित भाटी के विरूद्ध दर्ज हुआ हों की बात कहीं है। अर्थात कि यह गवाह जो वादी ने अपने समर्थन में पेश किया है, लोन स्वीकृति की बात कहता है और वह तब कहता है जब प्रदर्श 2 रसीद के द्वारा वादी ने प्रतिवादी कम्पनी में पैसा जमा करा दिया की रसीद उनके समक्ष पेश की और उन्होंने ऋण जारी किया और उक्त रसीद के द्वारा जरिये चैक राशि अदा करने की बात यह गवाह कहता है। यानि वादी और वादी के गवाह दोनों ही के कथनों से या तो 6,50,780/– रू. नकद जमा हुऐं जो वादी स्वयं कहकर आ रहा है, या जरिये चैक जमा हुऐ जो रसीद प्रदर्श 2 कह रही है, जो कि मुख्य आधार है, वादी का रूपये जमा कराने का और बैंक का गवाह भी यही कह रहा है कि इस रसीद के आधार पर उन्होंने बैंक का लोन स्वीकृत किया।

12. इसके विपरीत गवाह डी. डब्ल्यू. 1 विजय गर्ग ने वादी द्वारा 8 चैक भरकर उसे दिये, वाहन का कब्जा वादी को सौंपा, चैक 373084 के अनादरण होने पर ललित भाटी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया, जो चैक अनादरण का था। वाहन के चैसिस नंबर आदि का वर्णन करते हुऐ, जहाँ तक इन्श्योरेंस का प्रश्न है, विक्रय करते ही प्रथम इन्श्योरेंस कराया जाता है, सम्पूर्ण राशि का भुगतान आज तक नहीं किया के कारण आर. टी. ओ. कराने में असमर्थ है। वादी राजनेता, विधायक, मंत्री और प्रभावशाली आदमी होकर बकाया राशि अदा नहीं की गई कहते हुऐ वादी ने आठ चैक राशि भरकर उसे प्रदान किये परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जो यह साबित करता हों की

चैक की राशि 6,00,000/– रू. का भुगतान प्रतिवादी को हो गया कहते हुऐ वादी के नोटिसों का जवाब देने की बात कहते हुऐ, चैक की राशि का भुगतान वादी द्वारा आज तक नहीं किया गया, प्रतिपरीक्षा में गवाह ने रसीद प्रदर्श 2 उनके द्वारा जारी नहीं की गई। प्रदर्श 4 किसने और किसके द्वारा जारी की गई उसे पता नहीं, प्रदर्श 1 बैंक का दस्तावेज है, प्रदर्श 6 इन्श्योरेंस का पैसा जमा कराने के बात ही जारी होता है, छः लाख रूपये का बैंक ड्राफट उसे प्राप्त हुआ, छः लाख रूपये की रसीद मैने वादी को दे दी हों आईडिया नहीं होने की बात कहते हुऐ, प्रदर्श 2 में लिखे हुऐ नंबरों का चैक रिर्टन आने पर एन आई. एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने की बात कहते हुऐ प्रदर्श 2 के "ए" से "बी" भाग में पता सही है, मोबाईल नंबर सही है, रसीद हमारी नहीं है, फर्जी रसीद बना लिया जाना प्रतीत कराता है। प्रदर्श 2 में अंकित राशि का काउण्टर क्लेम किया या नहीं पता नहीं होने की बात कहते हुऐ उसे पता नहीं की 6,50,780/– रू. का दावा वादी के विरूद्ध किया हों। प्रदर्श 2 रसीद दि. 29.04.2015 को उनकी कम्पनी से जारी हुई हो तो उसे कोई आईडिया नहीं होने की बात कहते हुऐ प्रदर्श 5 अस्थाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उन्होंने जारी किया था। यह सही है की टोटल 11 चैकों की बात हुई हो तो उसे पता नहीं। इसी तरह गवाह डी. डब्ल्यू. 2 महेश शर्मा ने ललित भाटी को कार की कीमत 12,50,780/– रू. होने की बात कहते हुऐ छः लाख रूपये का बैंक ड्राफ्ट व छः लाख रूपये का चैक 373084 रसीद प्रदर्श 2 होना जो उन्होंने कभी प्रदान नहीं की कहते हुऐ चैक के अनादरण का मुकदमा वादी के विरूद्ध होने की बात कहता है, प्रतिपरीक्षा में यह गलत है कि प्रदर्श 2 रसीद उनकी कम्पनी की जारी शुदा हों, प्रदर्श 2 के ए से बी भाग में लिखा पता व मोबाईल नंबर सही होने की बात कहता है, प्रदर्श 2 पार्ट पेमेंट की जारी रसीद नहीं होना कहता है व प्रदर्श 4 इण्डियन ओवरीज बैंक द्वारा लिखा गया पत्र होने की बात कहता है। यह सही है कि 6,50,780/– रू. का काउण्टर क्लेम उन्होंने पेश नहीं किया, कोई दावा उनके द्वारा पेश नहीं किया गया।

13. अर्थात कि जहाँ वादी 6,00,000/– रू. का इण्डियन ओवरसीज बैंक का ड्राफट केवल कोटेशन 12,50,780/– रू. की मद में देने कह बात कहते हुऐ शेष राशि 6,50,780/– रू. नकद देना कहता है और रसीद प्रदर्श 2 प्रतिवादी के द्वारा जारी होने की बात कहता है एवं स्वयं के द्वारा गवाह पी. डब्ल्यू. 2 को पेश किया है ने भी उस रसीद के आधार पर 6,00,000/– रू. का ड्राफ्ट कम्पनी के पक्ष में जारी होने की बात कहता है तथा रसीद प्रदर्श 2 में चैक नंबर लिखे होने की बात इस गवाह के द्वारा

कहीं गई है यानी वादी और प्रतिवादी दोनों ही के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श 2 रसीद, जिसे वादी बैंक चैक राशि की प्राप्ति रसीद होना कह रहा है, वहीं प्रतिवादी उनकी रसीद होने से इन्कार कर रहा है। बैंक उक्त रसीद के आधार पर लोन का बैंक ड्राफ्ट जारी होने की बात कह रहा है और यदि इस रसीद का अवलोकन किया जाऐं तो यह राशि जरिये चैक 373084 जमा होने की बात कहीं गई है, स्वयं वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है की उक्त चैक के अनादरण का मुकदमा उसके पिता के खिलाफ चला, यानि रसीद में अंकित चैक जिसके जरिये यह राशि अदा किया जाना बताया जा रहा है पर यदि गौर किया जाऐं तो इसमें जरिये नकद भुगतान देना कहीं लिखा हुआ नहीं है। स्वयं वादी का गवाह बैंक मैनेजर जरिये चैक जमा होने की बात कहता है, इन सबके अतिरिक्त रसीद प्रदर्श 2 के आधार पर छः लाख रूपये का बैंक ड्राफ्ट जारी होने की बात कहता है, बैंक ड्राफ्ट जरिये प्रदर्श 1 जारी किया गया है, जिसके "ए" से "बी" भाग में 6,50,780/– रू. *एडवांस एज बुकिंग अमाउण्ट बाई द बोरोवर वाईड रिसिप्ट नं. 260 दि. 29.04.2015* लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्श 1 दस्तावेज दि. 28.04.2015 का है, "ए" से "बी" भाग में डेट लिखी है, 29.04.2015 पर जब कि गवाह पी. डब्ल्यू. 2 रसीद देखने पर बैंक ड्राफट जारी होना कहता है तो फिर "ए" से "बी" भाग जिसमें तारीख 29.04.2015 लिखी हुई है के पूर्व 28.04.2015 को यह लोन स्वीकृति आदेश कैसे जारी हो गया? दोनों ही आपस में संशय पैदा करने वाले है, वादी स्वयं स्वीकार कर चुका है कि प्रदर्श 2 में जो चैक नंबर लिखा हुआ है के अनादरण का मामला उसके पिता के खिलाफ चला यानी प्रदर्श 2 रसीद के आधार पर जो जरिये चैक पेमेंट होने की बात अंकित है के आधार पर चैक का पैसा तो प्रतिवादी कम्पनी को अदा ही नहीं हुआ, क्योंकि चैक तो अनादरित हो गया। इन सबके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तथ्यों की बाहुल्यता पर अगर गौर किया जाऐं तो वादी यह कहकर आ रहा है की छः लाख रूपये का तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया, 6,50,780/– रू. उसने नकद दे दिये तो फिर चैक देने की क्या आवश्यकता पडी? जब कार के पेटे सारा पैसा अदा ही कर दिया गया तो चैक जारी करने का कोई औचित्य नहीं था, चैक क्यों जारी किये? वादी किसी भी तरह स्पष्टीकृत नहीं कर सका है और प्रदर्श 2 जिसके मात्र आधार पर वादी अपना सम्पूर्ण दावा लेकर उपस्थित हुआ है, उसमें नकद जमा होने की बात कहीं अंकित नहीं है, जरिये चैक जमा होने की बात है, चैक अनादरित हो गया है। प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दि. 28.04.2015 का ड्राफ्ट दि. 29.04.2015 को जमा रसीद में अंकित करते हुऐ कैसे लोन जारी करेंगा, अर्थात कि सम्पूर्ण समेकित तथ्यों का अवलोकन करने से वादी

6,50,780/– रू. नकद जमा कराने की बात को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जहाँ तक इन्श्योरेंस पॉलेसी जारी होने की बात है, कोटेशन जारी होने की बात है, कार की कीमत 12,50,780/– रू. होने की बात है, इस बाबत किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है, अतः तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से स्वीकृत शेष 6,50,780/– रू.जमा कराने की हद तक अस्वीकृत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 व 3:–</u>

14. उक्त तनकियात को साबित करने का भार वादी पर था, जहाँ तक चैक नंबर 373084 का प्रश्न है,स्वयं वादी ने पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपनी साक्ष्य के पैरा नं. 2 में चैकों का वर्णन करते हुऐ, प्रतिवादी की नीयत में खोट होना कहते हुऐ धारा 138 एन आई एक्ट के मुकदमों की धमकी देने की बात कहते हुऐ, प्रतिपरीक्षा में जरिये चैक नं. 373084 से 6,50,780/– रू. अदा किये, जिसके अनादरण का मुकदमा उसके पिता के खिलाफ चल रहा है को बिना दस्तावेज के नहीं बता सकना कहते हुऐ पिता और कम्पनी के बीच कोई लेन–देन की जानकारी नहीं होने की बात कहते हुऐ गवाह पी. डब्ल्यू. 2 रविन्द्र सिंह ने भी उसे जानकारी नहीं है कि प्रदर्श 2 रसीद में अंकित चैक के अनादरण का मुकदमा वादी के विरूद्ध दर्ज कराया हों। गवाह डी. डब्ल्यू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा नं. 6 में वादी ने चैक नं. 373084 अनादरण होने की सूचना प्रेषित की हो वह प्रदर्श 7 हों, वादी के द्वारा जवाब प्रदर्श 8 देना, पुनः नोटिस प्रदर्श 10 देना, वादी द्वारा पुनः जवाब प्रदर्श 11 देना आदि की बात कहते हुऐ प्रतिपरीक्षा में उसने आईडिया नहीं कि एन.आई. मुकदमा उसने किस साल में किया, प्रतिवादी गवाह डी. डब्ल्यू. 2 महेश शर्मा ने वादी का चैक अनादरित होने पर उनकी कंपनी को बैंक द्वारा प्रदर्श 1 जारी किया पर नोटिस देने की बात कहते हुऐ ललित भाटी की मृत्यु पर मुकदमा समाप्त होने की बात कहीं है। जहाँ तक चैक के अनादरण का प्रश्न है, चैक संख्या 373084 के अनादरण होने बाबत दोनों पक्षों के मध्य प्रदर्श 7 लगायत प्रदर्श 12 नोटिस– जवाब का आदान–प्रदान होने की बात तथा तनकी संख्या 1 के विनिश्चय के अनुसार 6,50,780/– रू. जो वादी नकद अदा करने की बात कहते हुऐ आया है, रसीद प्रदर्श 2 के जरिये चैक अदा करने की बात जो की वादी का मुख्य आधार बिन्दू था अंकित होने, प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 के मध्य का विरोधाभास ऐसी परिस्थिति में छः लाख रूपये बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त की राशि वादी के द्वारा अदा होने की बात वादी किसी भी तरह साबित नहीं कर पाया है और उक्त परिस्थिति में वादी जो अपनी बकाया राशि

साबित नहीं कर सका है, प्रतिवादी द्वारा उसकी कार का रजिस्ट्रेशन कराकर उसे देने की बात को भी किसी तरह साबित नहीं कर सका है, अतः तनकी सं. 2 व 3 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 और 5:–

16. इन तनकियात को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जहाँ तक तनकी संख्या 4 व 5 का प्रश्न है, तनकी सं. 1,2 व 3 के विनिश्चय के अनुरूप 6,50,780/– रू. वादी नकद या जरिये चैक प्रतिवादी को अदा करने की बात साबित नहीं कर सका है, बकाया राशि कार की अदा नहीं होने की सूरत में वादी कोटेशन की शर्तों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन प्राप्ति का अधिकारी हो यह भी वादी साबित नहीं कर सका है, अतः उक्त तनकियात प्रतिवादी के पक्ष में साबित पाई जाती है।

तनकी संख्या– 6 :–

17. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, उक्त के अंतर्गत गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुऐ दावा पेश करने के कारण दावा खारिज होने योग्य हों के संबंध में प्रतिवादी ने डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपनी साक्ष्य में पैसा अदायगी के बाबत वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं होने की बात कहीं है, पैरा नं. 6 में चैक अनादरित होने से संबंधित ललित भाटी की मृत्यु के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप होने संबंधी तथ्यों का हवाला नहीं देने, तथ्यों को छुपाने की बात के तहत प्रतिवादी के द्वारा कथन किये गये है। तनकी चूंकी वादी द्वारा 6,50,780/– रू. नकद अदायगी के बाबत लेकर उपस्थित हुआ है, उक्त परिस्थिति में चैक अनादरण संबंधी मुकदमें का हवाला नहीं देने मात्र से तथ्यों को छिपाने की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। गवाह डी. डब्ल्यू. 2 के द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किये गये है। प्रतिवादी स्वयं की साक्ष्य से यह बात स्पष्ट है की चैक नं. 373084 जो अनादरित हुआ का मुकदमा ललित भाटी के खिलाफ चल रहा था, उसकी मृत्यु के कारण कार्यवाही ड्रॉप हो गई। यह सही है की ये सभी तथ्य प्रकरण से संबंध रखते है, परन्तु इनका हवाला नहीं देने, गलत तथ्यों के वर्णन की श्रेणी में नहीं आता है और जहाँ दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जा चुकी है, प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में सभी तनकियात का विधि अनुसार निस्तारण किया गया है की परिस्थिति में केवल इस आधार पर दावे को अस्वीकृत किये जाने का

कोई कारण प्रतीत नहीं होता है और यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

18. अनुतोषतः चूंकि तनकियात संख्या 1,2 व 3 के विनिश्चय के अनुसार वादी उसके दावे में वांछित अनुतोष की वादी चूंकि कार की समस्त राशि अदा कर चुका है, अतः वादी को विक्रय किये गये वाहन कार का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रतिवादी अपने खर्चे पर बनवाकर सुपुर्द करें साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है, अतः वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज होने योग्य है।

<u>–ः आ दे श ः–</u>

19. एतद्द्वारा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत वादी को विक्रय वाहन कार का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र अपने खर्चे पर बनवाकर प्रतिवादी सुपुर्द करें अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

वाद व्यय उभयपक्ष अपना–अपना स्वयं वहन करें।

नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

Pawan Kumar Sharma
Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2021.04.07 16:32:53 +0000

(पवन कुमार शर्मा)

न्यायाधीश,

वाणिज्यिक न्यायालय,अजमेर।

20. यह निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 07 अप्रेल,2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Pawan Kumar Sharma
Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2021.04.07 16:33:05 +0000

(पवन कुमार शर्मा)

न्यायाधीश,

वाणिज्यिक न्यायालय,अजमेर।